आवश्यक / समयबद्ध

पत्र सं0–स0नि0–पूँजीगत मद / निर्माण कार्य / आगणन प्रस्ताव / मूल्यांकन / 292 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(सम्पत्ति–अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2023

मुख्य अभियन्ता(निर्माण),
लोक निर्माण विभाग, महात्मा गांधी मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
पिनकोड–226001

विषय :–वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के आगणन प्रस्ताव को अनिवार्य रुप से शामिल करने के सम्बन्ध में ।

कृपया अपर मुख्य सचिव राज्य कर अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0–268 / 11–4–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य हेतु राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश **के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच, महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालय भवन के निर्माण तथा चाहरदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य कराये जाने** हेतु पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदों में निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव शासन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है एवं उक्त कार्यों हेतु सभी प्रस्तावों में **कार्यदायी संस्था–लोक निर्माण विभाग के आगणन प्रस्ताव को अनिवार्य रुप से शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।**

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उक्त जनपदों में निर्माण सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य समस्त निर्माण कार्यों हेतु आगणन प्रस्ताव एवं अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश के भिन्न–भिन्न कार्यालयों से प्राप्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन कराने का कष्ट करें ।

यह पत्र मा0आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक–उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर उक्त पत्र एवं शासन के पत्र दिनांक 28.06.2023 अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर,

संख्या– 268 / 11–4–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–4

लखनऊ :दिनांक २४ जून, 2023

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय कार्य योजना प्रस्तुतीकरण /2023–24/155/राज्य कर दिनांक 18.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत पर व्यय–01 कार्यालय भवन 051–निर्माण मानक मद संख्या–24 वृहद निर्माण कार्य में रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच, महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है चाहरदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 2500.00 लाख एवं जनपद सोनभद्र में कार्यालय निर्माण के लिए रू0 1060.58 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदो में निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। द्रष्टव्य है कि उक्त सभी प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–268(1)/11–4–2023, तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर विभाग उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।